उप खण्ड अधिकारी
लोहारिया (बबरा)

31/5/16 आज यह पत्रा. कैम्प कोर्ट छुट्टी वाले में मूल वाद के साथ पेश हुई। प्रतिवादी का मूल वाद विदड्रा हो चुका है। अतः प्रा.पत्र का आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रावली प्रा.पत्र खारिज की जाती है। वादव्यय पत्रा. शामिल दफ्तर की जावे। निर्णय कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
लोहारिया (बबरा)

अं. लि.

इकबाल
Advocate
31.5.16

Scanned by CamScanner